



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण, 1946 (श०)

संख्या - 759 राँची, बुधवार, 27 नवम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

15 अक्टूबर, 2024

संख्या-03/नि०सं०-09-30/2014 का. 6847--मो० मुस्तकीम अंसारी, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-810/03) उप सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड ने उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त कर दिये जाने के कारण उनसे कनीय पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से उन्हें भी संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

2. विभागीय संकल्प संख्या 17525(HRMS) दिनांक 06.10.2022 द्वारा मो० अंसारी के विरुद्ध उनका निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला के पद पर पदस्थापन काल में दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, गुमला के खाते से एक बड़ी राशि की फर्जी निकासी संबंधी आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी ।

3. मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 28.11.2022 को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा मो० अंसारी के संबंध में निम्नांकित अनुशंसा की गई है:-

"विभागीय संकल्प संख्या 17525 (HRMS) दिनांक 06.10.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा में।

4. विभागीय प्रोन्नति समिति की उपरोक्त बैठक में मो० अंसारी से संबंधित अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा में रखने की प्रक्रिया अपनाई गई।

5. विभागीय संकल्प संख्या 27065 (HRMS) दिनांक 28.08.2024 द्वारा मो० अंसारी को उपरोक्त विभागीय कार्यवाही में उनके विरुद्ध अधिरोपित 'झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड से विमुक्त किया गया है।

6. विभागीय संकल्प सं० 6227 दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले / आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफ में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

7. मो० अंसारी को उपरोक्त विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किये जाने के कारण विभागीय संकल्प संख्या 6227, दिनांक 20.11.2008 में निर्धारित उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में मो० अंसारी की प्रोन्नति से संबंधित मुहरबंद लिफाफा को खोला गया।

8. विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 28.11.2022 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा मो० मुस्तकीम अंसारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 810/03), के संबंध में "प्रोन्नति के योग्य" अनुशंसा की गई है।

9. मो० मुस्तकीम अंसारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 810/03, अनारक्षित कोटि) से कनीय श्री श्याम नारायण राम, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-812/03,अ०जा०) को विभागीय अधिसूचना सं० 7519 दिनांक 30.11.2022 के द्वारा अनारक्षित कोटि में संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

श्री श्याम नारायण राम, झा०प्र०से० को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ पदस्थापित पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से दी गई है।

10. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त मो० मुस्तकीम अंसारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 810/03) को उनसे कनीय श्री श्याम नारायण राम, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक- 812/03) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि 30.11.2022 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-13) में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

- झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में मो० अंसारी को प्रदत्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव।
